**HEAD OFFICE**

# Uttarakhand Pollution Control Board

Gauradevi Paryavaran Bhawan

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,

Dehradun (Uttarakhand)

UTTARAKHAND

UEPPCB

**Joint Inspection Report**

## Original Application No. 248 of 2021

## (I.A. No. 190 of 2021)

**In compliance of order dated 28.10.2021**

**of the**

## Hon'ble National Green Tribunal,

## Principal Bench,

## New Delhi

December, 2021

**Joint Inspection Report**

**In the matter of**

**Original Application No. 248 of 2021**

**(I.A. No. 191 of 2021)**

**Vipin Nayyar** Applicant

**Vs**

**Union of India & Ors.** Respondent(s)

In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 28.10.2021, joint inspection of the site was carried out by the officials of Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun and District Administration, Dehradun on 15.12.2021. Shri Anand Singh Mishrawan, Assistant Engineer, Nagar Nigam, Rishikesh was also present at the time of inspection.

As per joint inspection report:

i) A public toilet of three seat capacity is being constructed at Gali No. 8, Virbhadra Road, Rishikesh by the Nagar Nigam, Rishikesh. About 80% work is completed, however, construction work is stopped.

ii) There is an embankment between the proposed public toilet complex and river Ganga and approximate distance between toilet complex and river Ganga is 20.77 meter.

iii) The residential house of complainant Shri Vipin Nayyar and other residential houses are located at about 35.44 meter from Barrage/river Ganga. This area is not connected with sewerage network., therefore disposal of domestic wastewater is being done through septic tanks/soak pits.

 2|17|Sh.

iv) The said embankment of river Ganga is a part of 3 Km. long *Ashtha Path* and except at Triveni Ghat, there is no public toilet available for visitors.

v) The said public toilet is equipped with double chambered septic tank of 13.28 $M^3$ capacity. Since this area is not connected with sewerage network, cleaning of septic tank would be carried out as per septage management bylaws notified by the Nagar Nigam Rishikesh. Three septage/Desludging vehicles are procured by the Nagar Nigam for the same.

vi) Presently construction of said toilet complex is stopped and further construction work would be carried out as per the directions of the Hob'ble NGT.

vii) There is no possibilities of discharge of sewage/wastewater from said toilet complex in to the river Ganga.

Copy of Joint Inspection Report is enclosed as **Annexure-1**. Copy of Joint Inspection Report is also uploaded at website of State PCB at: **https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/214-inspection-reports**

Moreover, it is to mention that the petitioner Shri Vipin Nayyar has also given notice under section19(b) of the Environment (Protection) Act, 1986 to the Chairman, Uttarakhand Pollution Control Board vide letter dated 13.10.2021 in the matter of construction of public toilet complex. In view of said notice, the Uttarakhand Pollution Control Board has issued directions under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rishikesh vide its letter ref. no. UKPCB/HO/MSW-10/2021/1141 dated 12.11.2021. Copy of direction issued on dated 12.11.2021 is enclosed as **Annexure-2**.

In compliance of directions, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rishikesh has submitted its reply vide letter dated 27.11.2021. Copy of reply

submitted by the Nagar Nigam, Rishikesh is enclosed as **Annexure-3**. In order to avoid any seepage/leachate, pucca septic tank is being made, which is proposed to be cleaned as per provisions of Septage Management Bylaws.

It is evident from joint inspection report and reply submitted by Nagar Nigam, Rishikesh, that said public toilet complex is being renovated/constructed in view of large numbers of visitors in 3 Km. long *Aastha Path* from Triveni Ghat to Barrage, along the river Ganga.

*****************************

Annexure-1

# Joint Inspection Report

## In the matter of
## Original Application No. 248 of 2021
## (I.A. No. 190 of 2021)

## Vipin Nayyar
## Vs
## Union of India & Ors.

**(In compliance of order dated 28.10.2021)**

**Submitted to the**

## Hon’ble National Green Tribunal,
## Principal Bench,
## New Delhi

**Date of Inspection: 15.12.2021**

# संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 248/2021 विपिन नैयर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण के पत्र यू0के0पी0सी0बी/एच0ओ0/सामान्य–183–533/2021/4715–929 दिनांक 20.11.2021 तथा जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 255/एल.बी.सी./2020–21 दिनांक 13.12.2021 के अनुक्रम में शिकायत स्थल आस्था पथ गली नं0 8 वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश में निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियन्ता, नगर निगम ऋषिकेश की उपस्थिति में दिनाँक 15.12.2021 को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया गया।

1. डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी,
   क्षेत्रीय अधिकारी,
   उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

2. श्री राकेश कण्डारी,
   सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
   उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

3. श्री अयोध्या प्रशाद उनियाल,
   नायब तहसीलदार, ऋषिकेश।
   प्रतिनिधि, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नामित सदस्यों में से SEIAA उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि SEIAA की समिति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उपस्थित नही थे। जांच आख्या निम्नानुसार है।

1. निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय में 3 सीटर शौचालय का निर्माण निर्माणाधीन है जिसकी लम्बाई 11.80 मीटर एवं चौडाई 6.70 मीटर है स्थल पर 4.25 मीटर लम्बाई एवं 2.75 मीटर चौडाई व 2.25 मीटर गहराई में पक्के सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है।
2. शौचालय एवं बैराज/गंगा नदी बीच में तटबंध स्थित है, जिसकी स्थल पर बैराज/गंगा नदी से क्षैतिज दूरी 20.77 मीटर है।
3. स्थल पर शिकायतकर्ता श्री विपिन नैयर एवं अन्य लोगों की आवासीय कालोनी है जिसकी कि बैराज/गंगा नदी से क्षैतिज दूरी 35.44 मीटर है एवं इस सम्पूर्ण क्षेत्र में पब्लिक सीवर लाईन नही है घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सौक पिट के माध्यम से होता है।
4. सम्पूर्ण आस्था पथ लगभग 3 कि0मी0 लम्बाई में है, जिस पर कि मात्र त्रिवेणी घाट में एक सार्वजनिक शौचालय है जो कि इस क्षेत्र में सीवर लाईन होने से सीवर लाईन से संयोजित है, इसके अतिरिक्त आस्था पथ पर लोगो के उपयोग हेतु अन्य कोई सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय नही है।
5. नगर निगम के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल पर 13.28 घनमीटर क्षमता का पक्का दो कक्षों वाला सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है एवं नगर निगम के द्वारा ऐसे स्थानों पर जिनमें सीवर लाईन नही है सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु प्रोटोकॉल फॉर सैप्टेज मैनेजमेंट एक्ट का

गठन किया गया है, सैप्टेज मैनेजमेंट बायलॉज के अनुसार सैप्टिक टैंकों को निर्धारित समयानुसार खाली कराये जाने का प्राविधान है एवं वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश में तीन सैप्टेज/डिस्लजिंग वाहन यू0के016–6653 क्षमता 5000 लीटर, एच0आर0 20 ए0एन0–2223 क्षमता 6000 लीटर एवं यू0के0 08 ए0टी0–4118 क्षमता 5000 लीटर का पंजीकरण किया गया है।

6. वर्तमान में स्थल पर लगभग पर 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है एवं सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल पर कार्य को बन्द किया गया है, मा0 एन0जी0टी0 के अन्तिम निर्णय के बाद ही निर्माण पूर्ण किया जायेगा।
7. प्रश्नगत सार्वजनिक शौचालय के संचालन में आने के उपरान्त किसी भी प्रकार का सीवर गंगा नदी/बैराज में प्रवाह होने की सम्भावना नही है।

सहायक अभियन्ता,
नगर निगम, ऋशिकेश।

नायब तहसीलदार,
ऋषिकेश।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

उपजिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

# Cross section of septic tank at astha path
## (N.T.S)

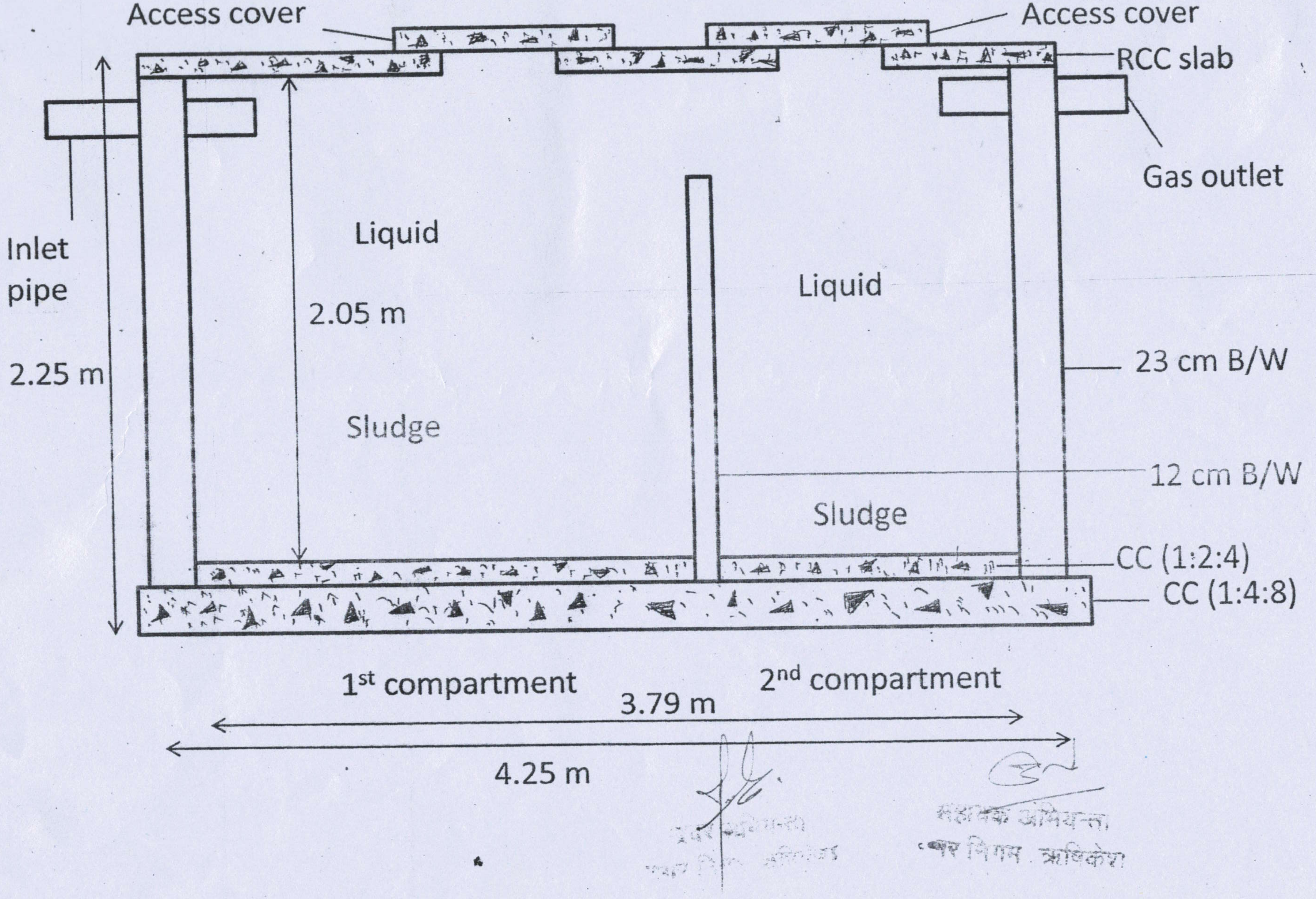

# PUBLIC TOILET ASTHAPATH, RISHIKESH

**Annexure-2**

HEAD OFFICE

**Uttarakhand Pollution Control Board**
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46-B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref : UKPCB/HO/MSW-10/2021/1141 Date: 12..11.2021

**SPEED POST**

To,

Municipal Commissioner
Nagar Nigam, Rishikesh,
Distt. Dehradun (Uttarakhand)

Directions under Section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

**WHEREAS**, amongst others, under **Section-17** of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974**, one of the functions of the State Pollution Control Boards (SPCBs), constituted under the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** is to plan a comprehensive program for prevention, control or abatement of pollution of streams and wells in the State and to secure the execution thereof; and

**WHEREAS**, in compliance of orders of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 10 of 2015 and O.A. No. 22/2014 on dated 10.112.2015, the Government of Uttarakhand has issued guidelines for construction along the river Ganga and its tributaries in plain areas vide letter ref. no. 1743/V-2/58(Aa)14/2016 dated 17.12.2016. Said guidelines defines Prohibited Zones - area falls within 200 meters from the mid of river and Regulatory zones- further 300 meters away from the prohibited zone; and

**WHEREAS**, certain activities have been permitted in special cases like - embankment /flood management, plantation, construction of ghat and river front development/construction work within the area of prohibited zone; and

**WHEREAS**, the Board has received a notice under section-19(b) of the Environment (Protection) Act, 1986 mentioning illegal construction of public toilet complex by the Nagar Nigam, Rishikesh on the bank of river Ganga at/inside Gali No. 8, Veerbhadra Marg, Rishikesh, Uttarakhand which is a located merely 25 meters (approx.) away from the edge of river Ganga. It is also stated that said toilet complex is being constructed without sewage treatment plant and this construction activity falls under prohibited area.

**WHEREAS**, as per guidelines issued by the State Government vide letter dated 14.12.2016, NOC required from the Uttarakhand Peyjal Nigam regarding sewage management.

**NOW THEREFORE**, in view of above observation and in exercise of power conferred under **section-33(A)** of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** as amended, with approval of the Competent Authority of the Board, following directions are issued to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Rishikesh for strict compliance:

1. Any kind of construction by the Nagar Nigam, Rishikesh within the prohibitory zone/Regulatory zone shall only be undertaken in conformity with the order of the

Hon'ble NGT and subsequent guidelines issued by the State Government vide letter dated 14.12.2016.

2. The Nagar Nigam, Rishikesh shall submit NOC of the Uttarakhand Peyjal Nigam regarding sewage management of said public toilet complex.

In case of non-compliance of order of the Hon'ble NGT and guidelines issued by the State Government, action shall be taken against the Competent Authority of Nagar Nigam, Rishikesh under the relevant provision(s) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended.

Action taken report/compliance report be submitted to this office with 30 days of issuance of directions.

Member Secretary

Copy to:-

1. **Chairman,** Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.
2. **Nodal Officer,** Solid Waste Management, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for information.
3. **Regional Officer(I/C),** Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for information and compliance of the same.
4. Guard file.

Member Secretary

**Annexure-3**

# कार्यालय नगर निगम,ऋषिकेश (देहरादून)

नगर निगम ऋषिकेश

Haridwar Road Rishikesh, Distt-Dehradun, Pin-249201

: www.nagarnigamrishikesh.com, ✉: npprishikesh@gmail.com

☎: 0135-2430015, : 18003135292

पत्रांक 2330 /एन0जी0टी0/2021–22 दिनांक : 27 नवम्बर, 2021

सेवा में,

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5491
Date 20/12/21

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

**Ref:-** **Direction under section-33(A) of water (Prevention and control of pollution)Act 1974.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या UPPCB/HO/MSW-10/2021/1141 Dated 12-11-2021 के क्रम में अवगत करना है कि नगर निगम के द्वारा पूर्व निर्मित शौचालय जो कि गली न0–8 में स्थित था, का जीर्णोधार का कार्य किया जा रहा था। अवगत करना है कि पूर्व में इस शौचालय का निर्माण वर्ष 2017–18 में आस्था पथ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मध्येनजर किया गया था। इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि त्रिवेणी घाट से बैराज तक लगभग 3.00 किमी0 का आस्था पथ है, जिसमें कि सुबह–शाम हजारों लोग घूमने एवं गंगा के दर्शनार्थ आते है साथ ही आस्था पथ एवं गंगा नदी के किनारे केवल त्रिवेणी घाट पर एक मात्र शौचालय स्थित है।

प्रश्नगत शौचालय का जिस स्थान पर जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा था उसके सामने आस्था पथ है एवं आस्था पथ पर पूर्व में नगर पालिका के द्वारा वर्ष 2017–18 में ओपन जिम, वैटमेटन खेलने हेतु वैटमेटन कोर्ट, पीने के पानी हेतु आर0ओ0 एवं बैन्च लगाये गये थे, जिसमें कि सुबह शाम स्थानीय निवासी/पर्यटक ओपन जिम, बैटमिटंन खेलने एवं गंगा जल ग्रहण करने हेतु आते है, इसी को मध्येनजर पूर्व नगर पालिका के द्वारा इस स्थान पर एक सीटर यूरिनल एवं एक सीटर शौचालय का निर्माण किया गया था।

वर्तमान में आस्था पथ पर अत्यधिक भीड़ एवं सैलानियों को मध्येनजर बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनाँक 21–01–2019 को पारित प्रस्ताव सं0 42(27) में शौचालय के विस्तार का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या 1781/ 2003/suda/sbm/2017-18 (volume-II) दिनांक 05.12.2020 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत इस निकाय को शौचालय/मूत्रालय के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके तहत नगर निगम के द्वारा आस्था पथ पर इस शौचालय एवं मूत्रालय के जीर्णोद्धार के लिए कार्यालय के पत्रांक संख्या 218/निविदा/2021–22 दिनाँक 17 अप्रैल 2021 को निविदा आमंत्रित कर इस कार्य को कराया जा रहा था।

इस क्रम में यह भी अवगत करना है कि जिन क्षेत्रो में सीवर लाइन नही है। उन क्षेत्रो हेतु प्रोटोकॉल फॉर सैप्टेज मैनेजमेंट के तहत नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा सैप्टेज मैनेजमेंट बायलॉज बनाये गये है। सैप्टेज मैनेजमेंट बायलॉज के अनुसार सैप्टिक टैंकों को निर्धारित समयानुसार खाली करायेजाने का प्राविधान है एवं वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश में तीन सैप्टेज/डिस्लजिंग वाहन यू0के016–6653 क्षमता 5000 लीटर, एच0आर0 20 ए0एन0–2223 क्षमता 6000 लीटर एवं यू0के0 08 ए0टी0–4118 क्षमता 5000 लीटर का पंजीकरण किया गया है। उक्त क्षेत्र मे सीवर लाइन न होने के कारण स्थल पर पक्का सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है ताकि सीवर का रिसाव गंगा नदी की ओर न हो। **वर्तमान में शौचालय जीर्णोधार का कार्य स्थगित है। श्री विपिन नायर द्वारा एक प्राथना पत्र वाद मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है जिसके क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनाँक 28–10–2021 को आदेश पारित किये गये है। प्रश्नगत**

| | | |
|---|---|---|
| CEO (T) | CEO (S) | EE-Envis/ Water Cess/NAMP |
| CEO (Admn) | SO | PEO |
| Nodal-BMW | Nodal-SW/PW | Nodal-HW |
| Nodal-Legal | Nodal-Account | AO (I/C) |

Imp
ASO R
21/12/21

**शौचालय के जीर्णोधार के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनाँक 28–10–2021 द्वारा पारित आदेशानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।**

अतः सूचना महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

**(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)**
नगर आयुक्त,
नगर निगम, ऋषिकेश।

पत्रांक एवं दिनॉक तदैव।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रंण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी देहरदून को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, ऋषिकेश।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

### कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड

**आवश्यक सूचना**

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड)

25 जनवरी, 2020 ई0

**पत्रांक: 1859/11/09/स्वा0 वि0/2019–20**–नगर निगम ऋषिकेश जनपद देहरादून, सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त अधिनियम 1959 की धारा 541 (1) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम ऋषिकेश द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2019" जिन पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ने वाला हो नगर निगम सदन द्वारा अनुमोदन स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं0 22 दिनांक 18–11–2019 के तहत् उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्धेश्य से किया जा रहा है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि 30 दिन अर्थात् एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ मुख्य नगर आयुक्त व सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई निर्णय नहीं किया जायेगा।

**अध्याय–23**

**सामान्य**

**1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:**

(1) ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम– 2019" कहलायेगा।

(2) ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश,के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश,की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंग :

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज / फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गडढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय ,भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंन्द्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रीव्यपी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र मे हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था । एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों मे नगर और शहरों मे बनी रह सके ।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंक प्रोटोकॉलः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2005 दिनांक 10.12.2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये है जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त ऐंजेसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेपिटक टैंक मे या बांयो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है। नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्धेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर निगम ऋषिकेश की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर निगम अधिनियम 1959 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0) /16 दिनांक 22–05–2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण ,परिवहन, इलाज , सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा–निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश , जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. **नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरण:**

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शाासनादेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0) /16 दिनांक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर निगम ऋषिकेश नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत। जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर निगम ऋषिकेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. **उद्धेश्य एवं कार्य क्षेत्र:**

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् है:

1. निर्माण, सेपिटक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन,इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेफ्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सेपिटक टैंक और शौचालय के गढ्ढे से और फीकल स्लज एवं सेपटेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके ।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेफ्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. **एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया** अपनाना:

4.1 सेपिटक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

- सेपिटक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये।
- जबकि स्लज को सुखाना और सेपिटक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेपिटक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 . **सेप्टेज /फीकल स्लज का परिवहन:**

1 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेगें फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और

फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेगे

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

**4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:**

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार नगर निगम की अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंतर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

**5. सुरक्षा उपाय:**

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा दियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है।
2. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि:

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेपटी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेपिटक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेपिटक टैंक में और शौचालय गड्ढे मे प्रवेश नही करेंगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना– जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्याधिक भार हेतु है या मेन हॅाल का आच्छादन टूटने बचा रहे ।

**6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:**

6.1 नगर निगम ऋषिकेश दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जि है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसी पंजीकरण हेतु प्रार्थना –पत्र करेगा जो कि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति का भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेगे परिवहन प्रपत्र और परपिट परिष्टि –ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण : रू0 2,000.00 प्रति गाड़ी

ब. नवीनीकरण : रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी

स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन : रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी

द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार : रू 1,000.00 प्रति गााड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर निगम बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता हैं

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर निगम में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर निगम कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर निगम अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर निगम फंड मे जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन /सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब नगर निगम किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निगर निगम और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकतर देगा कि वह इसकी लागत वसूली करें। और उसका भुगतान निकाय को करना होगां।

स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत

| क0स0 | वर्ग | प्रति यात्रा लागत | विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है। | मसिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जोकि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | टीनशैड वाला मकान | 1000 | कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार | 50 |
| 2. | अन्य समस्त मकान | 3500 | जब टैंक दो होते है | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | दुकान | 2500 | 2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भग पहले भरा हो। | 125 |
| 4. | सूस्त सरकारी/निजी कार्यालय | 2000 | | 250 |
| 5. | बैंक | 3500 | | 312 |
| 6. | सामुदायिक शौचालय/मुत्रालय | 3000 | | 500 |
| 7. | रेस्टोरेन्ट | 2000 | | 500 |
| 8. | होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें | 3500 | | 250 |
| 9. | होटल अतिथि गृह 11–20 कमरें | 4000 | | 250 |
| 10. | होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा | 5000 | | 500 |
| 11. | धर्मशाला 1–25 कमरें | 3500 | | 625 |
| 12. | धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादा | 5000 | | 200 |
| 13. | 3 स्टार होटल | 3500 | | 400 |
| 14 | 5 स्टार होटल | 5000 | | 750 |
| 15 | सरकारी स्कूल/कालेज | 2000 | | 1000 |
| 16. | निजी स्कूल/कालेज | 2500 | | 500 |
| 17. | 2 व्हीलर व्हीकल शोरूम | 2000 | | 625 |
| 18. | 4 व्हीलर वाहन शोरूम | 2500 | | 500 |
| 19. | सिनेमा हॉल | 3500 | | 625 |
| 20. | होटल 0–20 कमरें | 3500 | | 1250 |
| 21. | होटल 21 से 50 कमरें | 4000 | | 500 |
| 22. | होटल 50 कमरें से अधिक | 5000 | | 550 |
| 23. | विवाह हॉल/बैंकट हॉल | 3500 | | 1100 |
| 24 | बार | 3500 | | 625 |
| 25. | सरकारी हॉस्पिटल | 3000 | | 625 |
| 26. | नर्सिंग हॉम/क्लीनिक | 3000 | | 500 |
| 27. | पैथोलोजिकल लैब | 3000 | | 500 |
| 28. | निजी अस्पताल 20 विस्तर तक | 3500 | | 500 |
| 29. | निजी अस्पताल 20 से 50 तक | 4000 | | 1250 |
| 30. | निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक | 5000 | | 1500 |
| 31. | चावल की मिल/ अन्य मिल | 3500 | | 1750 |
| 32. | अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र में | 4000 | | 500 |
| 33. | अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र से बाहर | 3500 | | 1500 |

**नोटः**

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर निगम ऋषिकेश द्वारा निर्णित किये जायेगें।
2. मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा स्वीकृति है)।

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/नगर निगम ऋषिकेश देहरादून द्वारा अधिकृत है,उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर निगम ऋषिकेश मे जमा होगी।

8.3 नगर निगम ऋषिकेश के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यकम समय–समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैक बायोंडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी,परिवहन,निषपादन और सेप्टेज का इलाज।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3: दंड

| क0 सं0 | शिकायत का प्रकार | दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन | दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित | दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत | 2500 | 5000 | तीन महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण |
| 2. | सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में | 1000 | 6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना | |
| 3 | पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना | 1000 | 20000 | आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना। |
| 4. | विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना | 5000 | 10000 | |
| 5. | जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना | 5000 | 10000 | |

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

— 1 —

प्रस्ताव संख्याः–42 दिनॉक 21.01.2019
नगर निगम ऋषिकेश।

प्रस्ताव सख्या 42– श्रीमति ज्योति अशोक पासवान पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड संख्या– 25 में निम्न लिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. आवास विकास कालोनी में स्थित समस्त पार्को की रंगाई–पुताई पेन्ट का कार्य कराया जाना।
2. आवास विकास कालोनी में म0 सं0. 191 व 192 के सामने वाले पार्क का निर्माण बैंच गेट व प्लान्ट लगाया जाना।
3. आवास विकास कालोनी में श्री बत्रा जी के घर के सामने वाले पार्क का सौन्द्रीयकरण किया जाना व बैंच झूला व टाईल्स लगाया जाना।
4. आवास विकास कालोनी में श्री राकेश वर्मा जी के घर से श्री राजेश बिजली वाले के घर तक नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
5. आवास विकास कालोनी में सरस्वती शिशू मन्दिर के समाने व बगल की ओंर से दोनो तरफ की नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
6. आवास विकास कालोनी में सीमा ब्यूटि पार्लर की दुकान से सागर हेयर ड्रेसर के घर तक नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
7. आवास विकास कालोनी में श्री महेन्द्र पाली की दुकान से म0 न0 151 तक की सडक के दोनों तरफ की नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
8. आवास विकास कालोनी में शिव पार्क की चारों तरफ स्थित घरों की नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
9. आवास विकास कालोनी में श्रीमती राजकुमारी के घर के सामने सडक, नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
10. आवास विकास कालोनी में रिलायन्स टॉवर से स्टेडिया फैक्ट्री की दीवार तक दोनों तरफ बडे नाले का मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
11. आवास विकास कालोनी में रिलायन्स टॉवर से आइ0टी0बी0पी0 कैम्प तक बडे नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगायाँ जाना।
12. आवास विकास कालोनी में गेट न0–1 से मकान न0 151 तक (एम0आई0जी0 लाईन) तक दोनो. तरफ के नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।
13. आवास विकास कालोनी में श्री गोयल जी के मकान से आई0टी0बी0पी0 कैम्प तक बडे नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी
नगर निगम, ऋषिकेश

14. आवास विकास कालोनी में स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के समाने बगल के नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

15. आवास विकास कालोनी में श्री टण्डन जी (सुदर्शन मेडिकोज) के घर के सामने वाले नालियों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

16. आवास विकास कालोनी में श्री नमन रावल के घर से लेकर खुराना धर्मशाला तक बडे नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

17. आवास विकास कालोनी में सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज से लेकर सेल टैक्स कार्यालय तक बडे नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

18. सम्पूर्ण आवास विकास कालोनी को अलग-अलग ब्लॉक बनाकर नामों की सूची वाले बोर्ड लगाये जाने तथा प्रत्येक मकानों पर मकान न0 अंकित कराया जाना।

19. आवास विकास कालोनी आइ0टी0बी0पी0 कैम्प के पास वाले गेट पर प्रवेश द्वार बनाया जाना।

20. आवास विकास कालोनी में गायत्री पार्क का सौन्द्रीयकरण कराया जाना तथा आउटडोर जिम व झूले लगाया जाना।

21. आवास विकास वार्ड में विभिन्न स्थानों व आस्था पथ पर आउटडोर जिम व झूले लगाया जाना।

22. बीरभद्र मार्ग गली न0-3 में स्थित नगर निगम की भूमि पर भव्य बरात घर का निर्माण कराया जाना।

23. बीरभद्र मार्ग गली न0-9 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

24. बीरभद्र मार्ग गली न0-10 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

25. बीरभद्र मार्ग गली न0-4 आस्था पथ में गंगा दर्शन हेतु आये हुये श्रद्वालुओं के लिए कैन्टीन व पुस्तकालय का निर्माण कराया जाना।

26. बीरभद्र मार्ग गली न0-8 में सामुदायिक भवन का विस्तारीकरण मरम्मत रंगाई-पुताई व मरम्मत का कार्य कराया जाना।

27. बीरभद्र मार्ग गली न0-6 में स्थित शौचालय का विस्तार कर निर्माण कराया जाना।

छायाप्रति प्रमाणित

लोक सूचना अधिकारी
नगर निगम, ऋषिकेश

28. बीरभद्र मार्ग गली न0–6 में बीटूमन मास्टिक/टाईल्स सडक नाली निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

29. बीरभद्र मार्ग गली न0–6 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

30. बीरभद्र मार्ग आवास विकास कालोनी व बीरभद्र मार्ग में चौडी सडकों को बीटूमन मास्टिक प्रणाली/टाईल्स से सडक निर्माण किया जाना।

31. आवास विकास कालोनी में गली न0–3 श्री रवि जैन के घर से श्री रामकुमार संगर के घर तक नाली/सडक एवं लोहे के जाल का निर्माण कार्य।

32. आवास विकास कालोनी में श्रीमती प्रीति राठी वाली गली में नाली/सडक एवं लोहे के जाल का निर्माण कार्य।

33. आवास विकास कालोनी में आई0टी0बी0पी0 कैम्प के पास शौचालय/ मूत्रालय का निर्माण कराया जाना।

34. बीरभद्र मार्ग गली न0–7 में नालों की मरम्मत/निर्माण, स्लैब व लोहे का जाल लगाया जाना।

35. आवास विकास कालोनी में श्रीमती रोमा सहगल के घर के सामने वाले ब्लॉक में नालियों की मरम्मत स्लैब व लोहे के जाल लगया जाना।

36. आवास विकास कालोनी में सरस्वती शिशु मन्दिर के समीप निगम के खाली पडे भू–खण्ड पर टाईल्स लगाया जाना।

37. आवास विकास कालोनी में श्री फारूकी जी के घर के सामने वाली गली में नाली/सडक एवं लोहे के जाल का निर्माण कार्य।

38. वार्ड न0–25 में 500 ट्री गार्ड लगाकार पेड लगाया जाना।

39. वार्ड न0–25 में प्रत्येक ब्लॉक में डस्टबिन लगाया जाना।

40. आवास विकास कालोनी में सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के पास वाले पार्क की बाउन्ड्री वॉल बैंच व झूले लगाकर सौन्द्रीयकरण किया जाना।

41. आवास विकास कालोनी में खुराना धर्मशाला के पास वाले पार्क की बाउन्ड्री वॉल बैंच व झूले लगाकर सौन्द्रीयकरण किया जाना।

42. बीरभद्र मार्ग हाईडिल कॉलोनी वाले भूखण्ड पर पार्क बनाया जाना व बैंच व झूले के साथ आउटडोर जिम लगाया जाना।

43. आवास विकास कालोनी में लगे गेटों पर गार्ड रूम बनाया जाना।

44. अस्था पथ गली न0–4 पर स्थित घाट का विस्तारीकरण किया जाना।

45. आस्था पथ में गली न0–4 में वॉटर कूलर की मरम्मत कराया जाना।

46. वार्ड न0–25 में लगे स्ट्रीट लाईट के पोलो पर नये सिरे से नम्बर अंकित किया जाना।

---

स्वीकार ।

छायाप्रति प्रमाणित

लोक सूचना अधिकारी
नगर निगम,ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता / नगर आयुक्त / ~~मा0 महापौर महोदया,~~

कृपया नोटसीट के पृष्ठ संख्या–01 पर अंकित आख्या के क्रम में दिनांक 12.03.2021 को निम्न कार्यो में से जॉब संख्या 1, 3, 4, व 5 हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी थी, जिसमें कि अपरिहार्य कारणों से संशोधन करते हुये पुनः कार्यालय पत्र संख्या 2970 दिनॉक 12.03.2021 के माध्यम से दिनॉक 15.03.2021 को निविदा विक्रय करने हेतु संशोधन किया गया था, परन्तु तद्दिनॉक में उक्त निविदा किसी भी फर्म/ठेकेदार द्वारा क्रय नहीं किये जाने के फलस्वरूप निविदा निरस्त समझी/मानी गयी है।

उक्त जॉबों के साथ अन्य जॉबों को समायोजित करते हुये अल्पकालीन निविदि सूचना कार्यहित में निम्नानुसार 6 कार्यो हेतु की जानी प्रभावित है।

| क्र0 स0 | कार्य का नाम | कुल सीटो की संख्या | | | | योजना जिसमें कार्य किया जाना प्रस्तावित है | | योजना की लागत (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | महिला | पुरूष | मूत्रालय | सी0टी0 रूम | स्वचछ भारत मिशन | 14 वें वित्त | |
| 1 | बाईपास मार्ग पर आर0टी0ओ0 कार्यालय के समीप शौचालय का निर्माण कार्य। | 02 | 02 | 04 | 01 | 5.20 | 8.30 | 13.50 |
| 2 | नगर निगम परिसर में शौचालय /यूरिनल का निर्माण कार्य। | 01 | 02 | 04 | 01 | 4.22 | 8.28 | 12.50 |
| 3. | इन्दिरा नगर में शौचालय/ यूरिनल का निर्माण कार्य। | 02 | 01 | 04 | 01 | 4.22 | 7.58 | 11.80 |
| 4 | मन्शा देवी शौचालय/यूरिनल का निर्माण कार्य। | 01 | 01 | 02 | -- | 2.60 | -- | 2.60 |
| 5. | बाईपास मार्ग पास गौरा देवी चौक पर टैक्सी स्टैण्ड के समीप, चन्द्रभाग पुल पर ट्रक यूनियन के सामने व इन्द्रा नगर मे शौचालय /यूरिनल का निर्माण कार्य। | 02 | 02 | 04 | -- | 3.24 | -- | 3.24 |
| 6 | आस्था पथ पर पूर्व निर्मित शौचालय का जीर्णोधार का कार्य। | 01 | 02 | 04 | 01 | 4.22 | 4.78 | 9.00 |
| | कुल धनराशि | योग | | | | 23.70 | 28.94 | 52.64 |

उपरोक्तानुसार शौचालय के 6 निर्माण कार्यो को निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

नगर आयुक्त
महोदय उक्तानुसार निविदा की कार्यवाही करने हेतु अनुमोदित करें चाहें

(डी.के. जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, ऋषिकेश

08/V/2?

नियमानुसार जारी करें

अ0नि0।

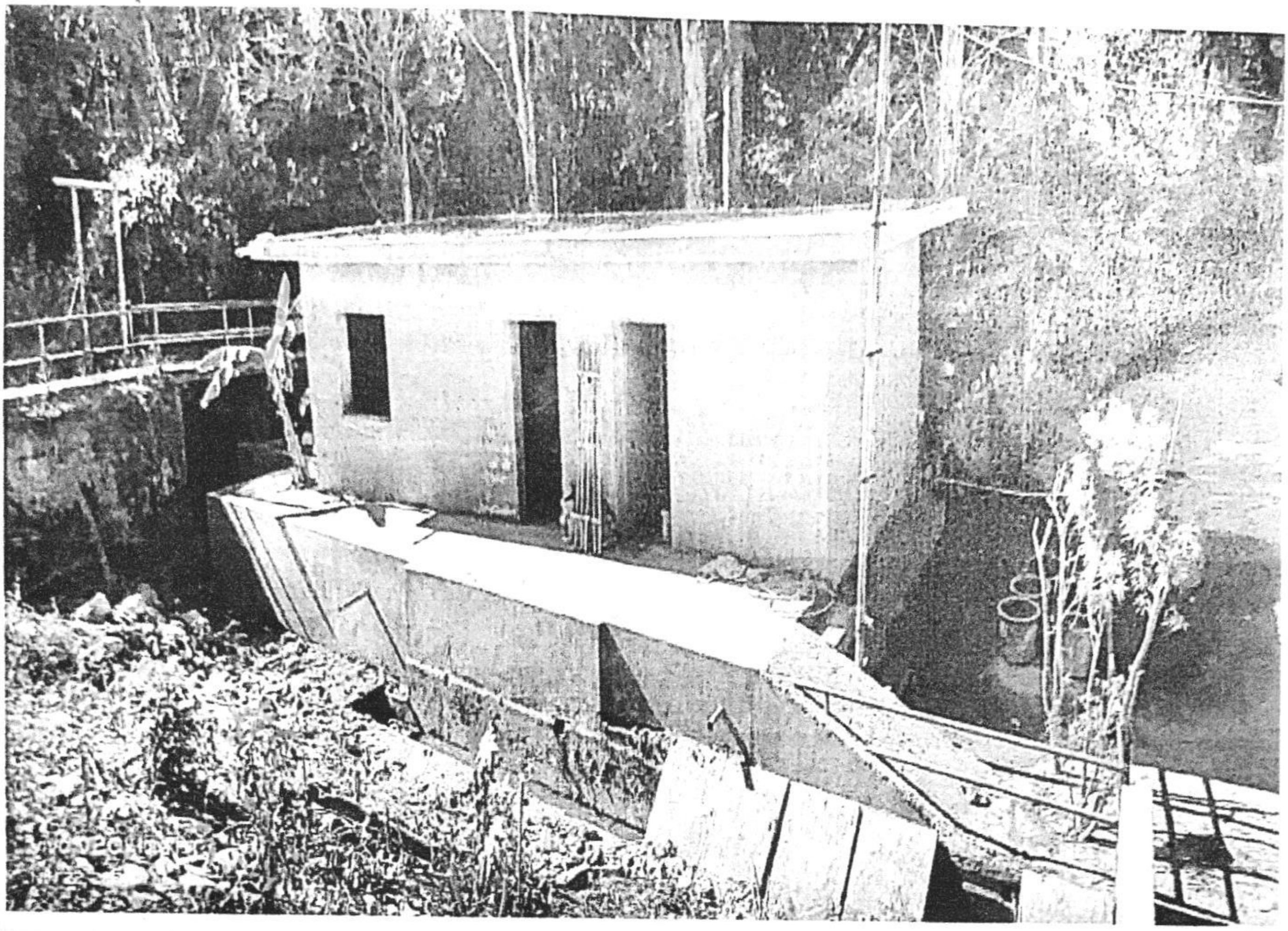

वार्ड न0 16 में आस्था पथ के समीप मूत्रालय व प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।

Site plan (NTS)

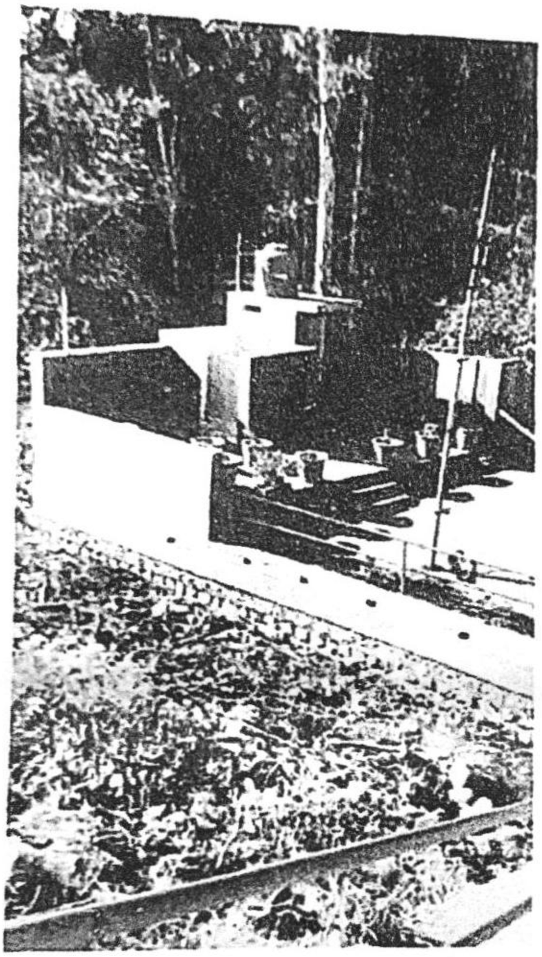

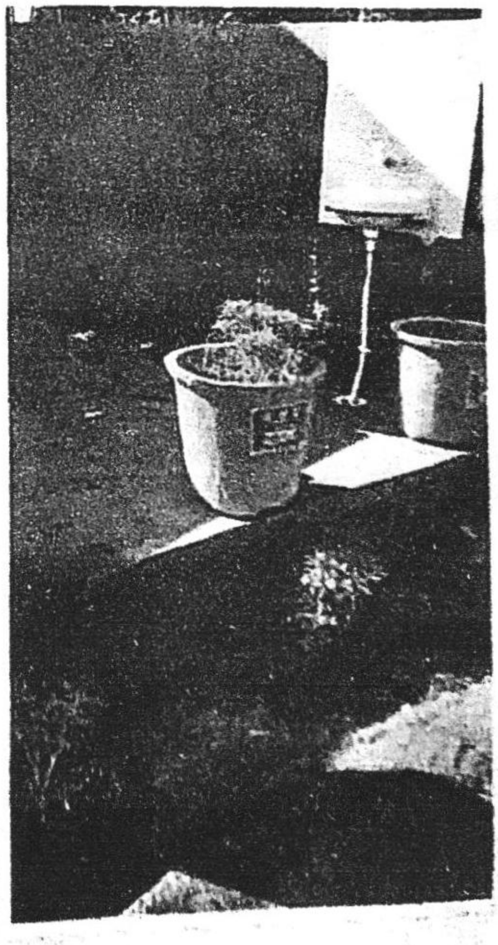

नगर अभियन्ता
नगर पालिका परिषद
[illegible]